द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2315/2013

श्री महेन्द्र जैन, **– अपीलार्थी**
आवास क्रं एफ 1/10, नूतन कालोनी,
सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री आलोक अग्रवाल, **– उत्तरवादी**
जनसूचना अधिकारी/सहायक अभियंता,
कार्यालय–खारंग जल संसाधन विभाग
राजेन्द्र नगर, बिलासपुर,
जिला बिलासपुर (छ0ग0)

(आदेश पारित दिनांक : 11/09/2014)

प्रकरण विडियो कांफ्रेंसिंग में प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री महेन्द्र जैन सूचना के बावजूद अनुपस्थित। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। परंतु प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाता है। उत्तरवादी की ओर से श्री सी0आर0 उरांव उपस्थित। उन्होंने बताया कि जानकारी प्रदान कर दी गई है। उनके द्वारा अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 26.6.14 की प्रतिलिपि आयोग को प्रेषित की गई है जिसमें 20 पृष्ठों की जानकारी अपीलार्थी को भेजा जाना लेख किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी ने दिनांक 16.5.13 को एक आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :–

''खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर के अंतर्गत वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं का योजनावार रूपांकित सिंचित रकबा/एग्रीमेंट रकबा, तथा वर्ष 2012–13 में योजनावार किया गया सिंचित रकबा (एग्रीमेंट व डिमांड) साथ ही वर्ष 2012–13 की योजनावार जलकर राशि विवरण ''

उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 14.6.13 जारी कर अपीलार्थी/आवेदक से 40/– शुल्क की मांग की जिसे अपीलार्थी के अनुसार उन्होंने 28.6.13 को जमा कर दिया परंतु उसके बावजूद भी जानकारी नहीं दी गई जिस पर प्रथम अपील दिनांक 24.7.13 प्रस्तुत की। उसके बाद भी जानकारी नहीं दिये जाने पर यह द्वितीय अपील की गई है। इस द्वितीय अपील के दौरान 20 पृष्ठों की जानकारी अपीलार्थी को दी गई। अपीलार्थी ने भी पत्र दिनांक 19.8.14 द्वारा स्वीकार किया है कि जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

चूंकि अपीलार्थी पिछली तारीख पर उपस्थित थे और आज सुनवाई के दौरान अनुपस्थित हैं एवं उन्होंने स्वीकार किया है कि जानकारी उन्हें प्राप्त हो चुकी है परंतु अपीलार्थी 40/– शुल्क लेने के बाद भी समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी अतः जानकारी निःशुल्क उपलब्ध

कराई जानी चाहिए थी। अतः आदेशित किया जाता है कि शुल्क के रूप में लिये गये 40/– रू. (चालीस रूपये) अपीलार्थी को वापिस किये जाये। इस आदेश के साथ प्रकरण में अग्रिम कोई कार्यवाही आवश्यक न होने से प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त